प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 822/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 29.07.2025

निर्णय पारित किया गयाः15.09.2025

1. ओम नारायण वर्मा, पिता रामानंद वर्मा, 23 वर्ष, निवासी ग्राम जैतपुरी, नंदघाट, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

2. सच्चिदानंद, पिता दीनू वर्मा, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी गाँव जैतपुरी, नंदघाट, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

----अपीलकर्तागण

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा , पथरिया, जिला मुंगेली (सी. जी.)

-----उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी तथा श्री ऋषि राहुल सोनी,अधिवक्तागण

उत्तरवादी हेतु :श्री विवेक मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

सी.ए.वी निर्णय

रजनी दुबे, न्यायाधीश के द्वारा

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला मुंगेली (सी.जी.) द्वारा दिनांक 06.05.2019 को सत्र विचारण संख्या 72/2017 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को भा.दं. सं. की धारा 201, 364, 302/34 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें क्रमशः 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना, आजीवन कारावास के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना, आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना तथा दोषमुक्ति के लिए अतिरिक्त दंड का प्रावधान किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि 14.06.2017 को शाम लगभग 5 बजे आरोपी ओम नारायण (ए-1) ने बिसाहू राम वर्मा को मोबाइल फोन पर बेलटुकरी (संबलपुर) मोड़ पर बुलाया और कहा कि वह उसके द्वारा उधार ली गई राशि वापस कर देगा।बिसाहू राम वर्मा उसके बुलाने पर वहाँ गया, जिसे आरोपी ओम नारायण ने अपनी पैशन प्रो मोटरसाइकिल (पंजीकरण क्रमांक CG-07-AJ-9076) पर बैठाया और आरोपी ओम नारायण के मित्र आरोपी सच्चिदानंद (ए-2) ने उत्तरा कुमार को अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा सीडी डॉन पर बैठाया और वे चारों भाटापारा गए।उन्होंने शाम 6-9 बजे भाटापारा सिटी मॉल में एक फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने के बाद, वे चारों शराब लेकर लामती गांव के श्मशान घाट के पास आए और आरोपी उत्तरा कुमार (अपील लंबित रहने के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई) और आरोपी सच्चिदानंद (ए-2) ने शराब का सेवन किया।आरोपी ओम नारायण (ए-1) और मृतक बिसाहु राम वहां बैठे थे, जिसके बाद वे रात करीब 10-11 बजे अपने घर के लिए निकल गए।मृतक बिसाहु राम आगे चल रहे थे और उनके पीछे अन्य आरोपी भी थे। जब आरोपी/अपीलकर्ता रास्ते में थे, तभी आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) ने मृतक बिसाहु वर्मा के गले में अपना गमछा डालकर उन्हें नीचे गिरा दिया और तीनों आरोपियों/अपीलकर्ताओं ने मिलकर बिसाहु का गला गमछे से दबाकर उनकी हत्या कर दी।इसके बाद, आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर बिसाहू पर डाला और आरोपी उत्तरा कुमार से माचिस की तीली मांगकर बिसाहू के शरीर को आग लगा दी।मानव कंकाल मिलने की सूचना पर, सूचना दर्ज की गई और मानव कंकाल का पोस्टमार्टम किया गया।पंचनामा की कार्यवाही के दौरान, पुलिस ने घटना स्थल के पास से जब्ती पत्र में उल्लिखित सामग्री को जब्त कर लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया।मानव कंकाल का पोस्टमार्टम किया गया था।अन्वेषण के दौरान, अज्ञात मानव कंकाल की पत्नी और वारिस 2 सितंबर 2017 को पुलिस स्टेशन पहुंचे और घटनास्थल से जब्त किए गए कपड़ों की पहचान की।पहचान पंचनामा के अनुसार, ये कपड़े बिसाहु राम वर्मा के थे।मृतक बिसाहु राम की पत्नी कुंती बाई, मृतक के पिता सौखराम वर्मा और गवाह प्रेमलाल भीखू राम के बयान दर्ज किए गए।बयानों में बताया गया कि 14.06.2017 को आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण वर्मा, जो जैतपुरी गांव का निवासी है, ने मृतक बिसाहु राम को ऋण राशि लौटाने के बहाने बुलाया और उसे जान से मारने की नीयत से लामती ब्रह्मडीह के पास शराब पिलाई, तौलिये से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।परिस्थितिजन्य साक्ष्य और ज्ञापन के आधार पर, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और अन्वेषण शुरू की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।अन्वेषण के दौरान, साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए और आरोपियों/अपीलकर्ताओं की संलिप्तता पाए जाने पर, उनके खिलाफ भा.दं. सं. की धारा 302, 201, 120-बी और 364 के तहत अपराध संख्या 429/2017 दर्ज की गई। घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया।मृतक के शव का शव परीक्षण किया गया तथा चिकित्सा राय प्राप्त की गई।आरोप पत्र दाखिल करने पश्चात् , विचारण न्यायालय ने भा.दं. सं. की धारा 120-बी, 364, 302 और 201 के तहत आरोप निर्धारित किया गया.

3. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने 24 साक्षीयों से परीक्षा की। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले में उनके खिलाफ सामने आए तथ्यों से इनकार किया, अपनी निर्दोषता का दावा किया और झूठे फँसाए जाने की बात कही।

4. विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ता की सुनवाई करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया ।अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंड का आदेश अवैध, गलत और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू विधि के विपरीत है।विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में एक भी ठोस और विश्वसनीय साक्षी नहीं है जो स्वतंत्र रूप से घटना का वर्णन कर सके।विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही है।साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठी है और इसे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध किसी गुप्त गलत उद्देश्य के साथ रची गई है।आक्षेपित निर्णय और निष्कर्ष विधि और प्रक्रिया की दृष्टि से गलत हैं, अभिलेख में मौजूद तथ्यों के विपरीत हैं, इसलिए इन्हें अपास्त किया जाना चाहिए।विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए उनका आकलन पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना स्थल एक सार्वजनिक स्थान था जहाँ कई लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभियोजन पक्ष कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश करने में पूरी तरह विफल रहा है।अतः, आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि को अपास्त किये जाने योग्य है।समर्थन में,**विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पद्म बिभर बनाम ओडिशा राज्य (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1190), वडला भीमरैदु बनाम तेलंगाना राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3589), कट्टवेल्लाई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1439), करनदीप शर्मा उर्फ रजिया उर्फ राजू बनाम उत्तराखंड राज्य (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 773), प्रकाश निषाद उर्फ केवट ज़ैनक निषाद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) 16 एससीसी 357, चुंथूराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2020) 10 एससीसी 733, कन्हैया लाल बनाम के मामलों**

में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया। राजस्थान राज्य (2014) 4 एससीसी 715 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 06.09.2023 का निर्णय सीआरए संख्या 859/2011 [आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य] में पारित किया गया और इस न्यायालय का दिनांक 22.02.2023 का निर्णय सीआरए संख्या 565/2022 [किशन लाल @ चंपा यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य] में पारित किया गया, दिनांक 23.08.2024 का निर्णय सीआरए संख्या 965/2018 [तेजप्रकाश सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य] में पारित किया गया, दिनांक 06.05.2022 का निर्णय सीआरए संख्या 1118/2014 और अन्य संबंधित अपील [राम प्रसाद यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य] में पारित किया गया, दिनांक 03.01.2017 का निर्णय सीआरए संख्या 441/2004 [राम अधिन @ रामदीन @ चरका बनाम] में पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य] और सीआरए संख्या 810/2013 [राणाराम राठिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य] में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2023।

6. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया है कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि विधि के अनुसार है और इसमें कोई खामी नहीं है।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बात सुनी तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

8. विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा धारा 120-बी, 364, 302 और 201 के तहत आरोप तय किए थे और वाद की सुनवाई के दौरान अभियुक्त उत्तरा कुमार की मृत्यु हो गई थी। विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ओम नारायण (ए-1) और सच्चिदानंद (ए-2) को भा.दं. सं. की धारा 120-बी, 364, 302/34 और 201 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें इस निर्णय के कंडिका 1 में वर्णित दंड पारित किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि मृतक बिसाहु राम साहू की मृत्यु हत्यात्मक थी या नहीं।

10. भीखुराम (संदिग्ध-2) मृतक के ससुर हैं।उन्होंने बताया है कि उनकी पुत्री गायत्री (संदिग्ध-1) ने उन्हें फोन पर सूचित किया था कि उनके दामाद (मृतक) ओम नारायण (प्रतिवादी-1) के साथ गए थे और दो-तीन दिन तक वापस नहीं लौटे।उन्होंने यह भी बताया कि जब वे आरोपी ओम नारायण को ढूंढने बिदबिदा गांव गए, तो वह उन्हें वहां नहीं मिला।इसके बाद उनका समाधि सौखराम वहां आया।फिर उनका समाधि उनके घर गया और वहां से उन्होंने नंदघाट पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।उन्होंने यह भी बताया कि वे आरोपी ओम नारायण से यह पता लगाने के लिए खेड़ा गांव गए थे और उनसे पूछा था कि उन्होंने अपने दामाद से कितना पैसा उधार लिया था, तब आरोपी ओम नारायण ने कहा कि उन्होंने 20,000 रुपये उधार लिए थे और उसके बाद वे घर वापस आ गए।उन्होंने अपने बयान के कंडिका 3 में यह भी कहा है कि तीज पोरा उत्सव के समय उनकी बहन ने उन्हें बताया कि लामती गांव में एक हत्या हुई है और वहां शव की हड्डियां मिली हैं।

इसके बाद वे लामती गांव गए और कोटवार से पूछा कि यह घटना कब हुई थी। कोटवार ने बताया कि हल्की बारिश हो रही थी और नगरी रुकी हुई थी, तभी यह घटना हुई।इसके बाद उन्होंने कोतवार से पूछा कि क्या शव की पहचान हो पाई है, तो कोटवार ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है।कोटवार ने बताया कि शव पर लाल रंग का गमछा, शॉर्ट पैंट, शर्ट और तीन अलग-अलग चप्पलें थीं।

11. रामप्रसाद दिवाकर (पीडब्लू-3) ग्राम सरगांव, जिला मुंगेली का कोटवार है।उसने बताया कि उसने प्र.पी-2 के माध्यम से ग्राम लमटी के तालाब में मिले मानव कंकाल की सूचना सरगांव थाने को दी थी और 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है।इस साक्षी ने मृत्यु समीक्षा ज्ञापन से इनकार किया है, लेकिन उसने कंकाल पंचनामा (प्रमाण पत्र-4) और मृत्यु समीक्षा ज्ञापन (प्रमाण पत्र-5) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उससे प्रतिपरीक्षा की, तो उसने बताया कि वह उस स्थान पर गया था जहाँ मानव कंकाल मिला था। पुलिस ने उसके सामने नक्शा तैयार नहीं किया था, लेकिन उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे।उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कंकाल पंचनामा की सूचना पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. कृपा राम निषाद (पीडब्लू-9) जब्ती का साक्षी है।उन्होंने कंकाल पंचनामा की सूचना (एक्स पी/ -4) और जांच ज्ञापन (एक्स पी/ -5) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षा की, जिसके बाद उसने अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही से इनकार किया, लेकिन एक्स पी-4 और एक्स पी-5 के क्रमशः 'बी से बी' और ''ए से ए'' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

13. लंबोदर सिंह (पीडब्लू-20) उप निरीक्षक हैं।उन्होंने कहा है कि ग्राम कोटवार की सूचना पर उन्होंने विलय सूचना संख्या 0/17 (एक्स पी/-2) दर्ज की और 'बी टू बी' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया .उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने साक्षीयों को नोटिस जारी किया और साक्षीयों की उपस्थिति में एक्स पी/-5 के तहत मृत्यु समीक्षा ज्ञापन तैयार किया।14. डॉ. अमित लाल (पीडब्ल्यू-15) ने बताया है कि 01.07.2017 को कांस्टेबल राहुल यादव द्वारा एक मानव कंकाल को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए उनके सामने लाया गया था। मानव कंकाल में कोई मांसपेशियां और अंग नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ की राय के लिए सीआईएमएस, बिलासपुर को भेजा (प्रदर्शनी पी-18 के माध्यम से) और इस पर 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया गया।अभियोजन पक्ष ने किसी डॉक्टर की जांच नहीं की और केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, सीआईएमएस, बिलासपुर के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अजय भेंगरा ने मानव कंकाल का पोस्टमार्टम किया था। रिपोर्ट के अनुसार, नमूना लगभग 25-30 वर्ष की आयु के पुरुष का था, मृत्यु के बाद का समय 2 सप्ताह से 2 महीने था। शरीर के उपलब्ध हिस्से पर मृत्यु से पहले की कोई चोट न होने के कारण उनके लिए मृत्यु का कारण बताना संभव नहीं था, लेकिन शरीर के गायब हिस्से (नरम ऊतकों) पर चोटों से इनकार नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, डीएनए रिपोर्ट (एक्स पी/ -52) के अनुसार, आर्टिकल- बी (एक्स पी/ 355) मृतक के पिता सौखराम

वर्मा के रक्त के नमूने से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल है, आर्टिकल – ए (एक्स पी/. 354) मृतक की जांघ की हड्डियों के नमूने से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल है और आर्टिकल – सी (एक्स पी/.356) मृतक की माता श्रीमती कुंती बाई वर्मा के रक्त के नमूने से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल है और यह पुष्टि की गई कि आर्टिकल – ए, आर्टिकल – बी और आर्टिकल – सी का जैविक पुत्र है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पाया गया कंकाल मृतक बिसाहू राम साहू का था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से अभियोजन पक्ष द्वारा परिक्षण नहीं की गई थी

15. बी.आर. राजपूत (पीडब्लू–18) – अन्वेषण अधिकारी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि डॉक्टर द्वारा मृत्यु की प्रकृति घोषित/राय नहीं दी गई थी।उनकी विस्तृत और लंबी प्रतिपरीक्षा में, प्रतिपरीक्षा का अधिकांश भाग प्रश्न और उत्तर के रूप में है, और महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं:–––

प्रश्न –प्रकरण में जप्तशुदा कंकाल के संबंध में हत्या की गयी हो ऐसा अभिमत डाक्टर ने नहीं दिया है?
उत्तर–इसका उत्तर डाक्टर ही बता सकता है।
प्रश्न–इस प्रकरण में किस आधार पर धारा 302 का अपराध डाक्टर के रिपोर्ट के बिना लगाया गया है ?
उत्तर–डाक्टर के रिपोर्ट दिनांक 2.7.2017 जो लिखा है उसके आधार पर तथा मर्ग कमांक 48/2017 के आधार पर लगाया है।
प्रश्न–डाक्टर ने रिपोर्ट में बताया है कि मृत्यु कैसा हुआ है कारण मैं नहीं बता सकता हू?
उत्तर- सही है।
प्रश्न–डाक्टर ने यह भी बताया है कि कंकाल का शव परीक्षण किया जाना संभव नहीं है तथा उसकी मृत्यु कैसे हुयी यह भी बताना संभव नहीं है?
उत्तर–सही है।
प्रश्न–जो कंकाल मिला था उसकी मृत्यु कैसे हुयी उसकी मृत्यु कैसे हुयी यह डाक्टर या रासायनिक परीक्षण से पता नहीं चला है?
उत्तर–सही है।
प्रश्न–परंतु इसके पश्चात भी आपने धारा 302 का अपराध लगाया ?
उत्तर–सही है।
प्रश्न–उस कंकाल से संबंधित व्यक्ति की किसी ने हत्या की हो या उस कंकाल से संबंधित व्यक्ति को किसी ने मारा हो ऐसा किसी गवाह ने मर्ग के जांच के दौरान किसी ने आपकों नहीं बताया है?
उत्तर–उस कंकाल से संबंधित व्यक्ति की परिजन लोगों ने बताया था कि उस व्यक्ति की हत्या की गयी है।
प्रश्न–जितने परिवार के लोगों ने आपकों मर्ग के जांच के दौरान बताया वे सभी हत्या के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है?
उत्तर–उसकी पत्नी ने बताया है कि हत्या कर दिया गया है पैसा देने के बहाने बुलाकर हत्या कर दिये है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रश्न–हत्या की प्रकरण दर्ज करने के लिये डाक्टर का रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है?

उत्तर–सही है।

प्रश्न–इस प्रकरण में उस कंकाल की हत्या हुयी ऐसा किसी डाक्टर ने रिपोर्ट नहीं दी है?

उत्तर –कंकाल के संबंध में डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी है।

प्रश्न–कंकाल की हत्या की गयी हो ऐसी कोई रिपोर्ट डाक्टर ने दी है क्या?

उत्तर –डाक्टर ने कंकाल के संबंध में अपना ओपिनियन दिया है उसे डाक्टर ही बता सकता है।

प्रश्न –डाक्टर के रिपोर्ट को आपने नही समझा क्या?

उत्तर –मैने डाक्टर के रिपोर्ट को समझा था और इस संबंध में डाक्टर से जानकारी भी लिया था परिस्थिति के आधार पर जानकारी प्राप्त किया था

प्रश्न– आपने जानकारी लिया था तब डाक्टर ने बताया था कि कंकाल है इसकी मृत्यु कैसे हुयी बता पाना संभव नही है?

उत्तर–यह कहना गलत है।

प्रश्न–डाक्टर ने अपने पी०एम० रिपोर्ट के अभिमत में यह बताया है कि कंकाल के संबंध में मृत्यु का कारण बता पाना संभव नहीं है?

उत्तर –सही है।

प्रश्न–इसके पश्चात आपने किसी डाक्टर या रासायनिक विशेषज्ञ के रिपोर्ट आपने प्रकरण में संलग्न नही किया है?

उत्तर –सही है।

प्रश्न–अन्य किसी चिकित्सक विशेषज्ञ से कंकाल की मृत्यु कैसे हुयी इस बारे में आपने अन्य कोई रिपोर्ट प्राप्त नही किया है?

उत्तर –सही है।

प्रश्न–इस प्रकरण में चालान के साथ पीएम रिपोर्ट जो आपने लगायी है उसके अलावा और कोई चिकित्सा दस्तावेज संलग्न नहीं है?

उत्तर–मैने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लगाया है।

प्रश्न–डीएनए टेस्ट से रिपोर्ट से कौन व्यक्ति है इस बात की जानकारी हुयी है किसने हत्या की है इस बात की जानकारी नहीं है?

उत्तर– सही है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इन प्रश्नों और उत्तरों से यह स्पष्ट है कि अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कंकाल का शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने मृत्यु के कारण और उसकी प्रकृति के बारे में कोई राय नहीं दी, और डॉक्टर ने विशेष रूप से कहा कि शव परीक्षण संभव नहीं था।अप्रदर्शित पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बिलासपुर स्थित सीआईएमएस के डॉक्टर ने यह राय दी थी कि मृत्यु का कारण बताना संभव नहीं है क्योंकि कंकाल के उपलब्ध हिस्से पर मृत्यु से पहले की कोई चोट नहीं थी, लेकिन शरीर के गायब हिस्से (नरम ऊतकों) पर चोटों से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक थी।इसके अलावा, कंकाल की डीएनए रिपोर्ट से केवल यह तथ्य सिद्ध हुआ कि प्राप्त कंकाल मृतक बिसाहु राम साहू का था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक थी।अन्वेषण अधिकारी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पत्नी और अन्य रिश्तेदारों की गवाही के आधार पर ही उन्हें बिसाहु राम साहू की हत्या का संदेह था, इसलिए उन्होंने आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की। अतः हमें अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों की अत्यंत सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।

17. गायत्री वर्मा (पीडब्लू-1) मृतक बिसाहु राम साहू की पत्नी हैं।उसने बताया है कि उसका पति छह महीने से लापता था और उसका पति यह कहकर घर से चला गया कि आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) उसे बुला रहा था और उसने उसे अगले हफ्ते अकेले आने के लिए कहा था, यह कहते हुए कि वह उसे उसका सारा पैसा दे देगा।दिनांक 14.06.2017 को अभियुक्त/अपीलार्थी ओम नारायण (ए-1) ने अपने मृत पति के मोबाइल पर कॉल किया था, तब उसने अपने मृत पति से पूछा कि किसका कॉल था, तो उसके पति ने बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ओम नारायण का कॉल था तथा कहा कि वह रात्रि में या सुबह आएगा।उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ओम नारायण ने उसके मृत पति को मोटरसाइकिल न लाने के लिए कहा था और ओम नारायण अपनी मोटरसाइकिल से आया था तथा उसके मृत पति को उनके घर से कुछ दूरी पर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा दिया था।उसने अपने मुख्य परीक्षा के कंडिका 2 में यह भी कहा है कि उस दिन से आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) उनके घर आना बंद कर दिया था, इससे पहले आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण उनके घर आता हुआ करता था और जब भी वह फोन पर आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण से अपने पति के बारे में पूछती थी, तो वह कहता था कि उसे नहीं पता और वह उसे बताती थी कि वह उसके पति को ले गया है और वह उसे अपने घर आकर बताने के लिए कहती थी लेकिन वह नहीं आया था।उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के तीसरे कंडिका में यह भी कहा है कि जब वह अपने पति के मोबाइल पर कॉल करती थीं, तो वह बंद मिलता था।इसके बाद, परिवार के सभी सदस्यों ने मृतक की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला।जब उनके पति बिसाहु राम नहीं मिले, तो उनके ससुर सौख राम नंदघाटे पुलिस स्टेशन गए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।उन्होंने यह भी बताया कि जब उनके पिता भीखुराम अपनी बहन को लेने दकाचका गांव गए, तो किसी ने उन्हें बताया कि दकाचका में एक शव और कपड़े पड़े हैं, और सरगांव पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी शव को ले गए हैं।उन्होंने आगे बताया कि जब उनके पिता ने उन्हें उक्त घटना के बारे में बताया, तो वे अपने ससुर और पिता भीखुराम के साथ सरगांव पुलिस स्टेशन गईं।सरगांव पुलिस स्टेशन में उन्होंने बताया कि उनके पति बिसाहु राम लापता हैं और शव के बारे में सुनकर वे यहां आई हैं। उन्होंने पुलिस से शव दिखाने का अनुरोध किया। पुलिस ने उन्हें मृतक के कपड़े आदि दिखाए और कपड़े देखकर उन्होंने पहचान लिया कि वे उनके पति के कपड़े हैं।इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 5 में कहा है कि आरोपी/अपीलकर्ता (ए-1) ने उसके दिवंगत पति से दो किस्तों में 78,000 रुपये उधार लिए थे।उसके दिवंगत पति जब भी किसी को पैसे देते थे, तो उसकी प्रति में नाम लिखते थे, और उस प्रति में आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) का नाम भी लिखा हुआ था।पुलिस ने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उसके मृत पति द्वारा लिखित प्रति (प्रदर्श पी-1) जब्त की थी।उसने यह भी कहा है कि उसे संदेह है कि आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण ने उसके पति की हत्या की है।प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी ने स्वीकार किया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके ससुर ने दर्ज कराई थी और आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) के साथ जाने का तथ्य रिपोर्ट में नहीं था।उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बताया था कि उसका मृत पति आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण के साथ गया था, लेकिन यदि यही बात उसके पुलिस बयान (एक्स डी-1) में दर्ज नहीं है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती है।इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने पति से आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण के फोन/कॉल के बारे में पूछा था, और उसने इस तथ्य का उल्लेख अपने पुलिस बयान में नहीं किया है और वह पहली बार न्यायालय के समक्ष यह बात बता रही है।इसके अलावा,कंडिका 24 में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं अपने पति को आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण द्वारा ले जाते हुए नहीं देखा था, और उसने इस सुझाव का खंडन किया कि आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण ने उसके मृत पति से पैसे उधार नहीं लिए थे।

18. भीखुराम (पीडब्लू-2) अभियुक्त/अपीलार्थी ओम नारायण (ए-1) का ससुर है।उन्होंने कहा है कि उनकी पुत्री गायत्री (पीडब्लू-1) ने उन्हें सूचित किया था कि उनका दामाद लापता है तथा वह आरोपी/अपीलार्थी ओम नारायण (ए-1) के साथ गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. कुंती बाई वर्मा (पीडब्लू-4) मृतक की माँ हैं।उसने बताया कि वह और उसका पुत्र खेत में गए थे और लगभग सुबह 11:00 बजे, आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) ने उसके पुत्र को फोन किया और कहा कि उसके (अपीलकर्ता के) ससुर ने जमीन बेच दी है, तुम (मृतक बिसाहु राम) पैसे लेने आओ, रजिस्ट्री हो जाएगी और वह उसे पैसे दे देगा। आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) ने कहा कि वह (मृतक) मोटरसाइकिल से मत आना, वह मोटरसाइकिल से आ रहा है। तब उसने (साक्षी ने) अपने पुत्र से पूछा कि किसका फोन था, तब उसके मृत पुत्र ने बताया कि यह अपीलकर्ता ओम नारायण का फोन था।उसने यह भी बताया कि इसके बाद वह और उसका पुत्र खेत से घर लौटे और दोपहर 1 बजे फिर आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण ने उसके पुत्र बिसाहू को मोबाइल पर फोन किया और वही बात दोहराई कि शाम को मोड़ के पास आना, वह (आरोपी/अपीलकर्ता) आ रहा है।फिर आरोपी ओम नारायण ने अपना चेहरा कपड़े से बांध लिया और दो लोगों को बाहर छोड़कर उसके पुत्र बिसाहू को घर से ले गया।उसने यह भी कहा है कि रात में उन्होंने उसके पुत्र बिसाहु के मोबाइल पर कॉल किया, फिर उसने जवाब दिया कि वह आधे घंटे पश्चात् आएगा, परंतु उसका पुत्र नहीं आया।फिर उन्होंने आसपास पूछताछ की तथा फोन भी किए परंतु वह नहीं मिला।उनके पुत्र का मोबाइल बंद था, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।उन्होंने यह भी बताया कि घटना भादो के आखिरी महीने में तब सामने आई जब उनकी समाधि डकाचका गांव गई और उन्हें पता चला कि लामती गांव से एक आदमी के कपड़े आदि सरगांव चौकी लाए गए हैं। उन्हें इस बारे में तब पता चला जब उनकी समाधि ने उन्हें सूचना दी।गांव के कोटवार ने बताया कि कपड़े आदि सरगांव पुलिस स्टेशन ले जाए गए हैं। उनकी समाधि उनके घर आई और उनके पति और बहू गायत्री बाई (पी डब्ल्यू-1) को बताया कि उन्हें सरगांव

पुलिस स्टेशन जाना होगा। तब उनके पति, बहू, समाधि और गांव लामती के कोटवार सरगांव चौकी गए और कपड़ों से कंकाल की पहचान अपने पुत्र के रूप में की।उसने यह भी कहा है कि उसके पुत्र बिसाहू की मौत आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण के कारण हुई है।प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी ने कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन उसने आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) को गांव में नहीं देखा था। उसने आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण को गमछा लगाते हुए नहीं देखा था और वह दूसरों के कहने पर यह बात कह रही है।उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसका बयान उसके मृत पुत्र के लापता होने के छह महीने बाद दर्ज किया गया था और उसे नहीं पता कि उसके पति ने क्या परिवाद दर्ज कराई थी।

20. प्रेमलाल वर्मा (पी डब्ल्यू-5) मृतक का चचेरा भाई है।उन्होंने बताया है कि मृतक के पिता सौखराम ने उन्हें सूचित किया था कि आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) ने मृतक को पैसे लेने के लिए बुलाया था और मृतक बिसाहू 14.06.2017 को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा, और उसके बाद 17.06.2017 को मृतक के पिता सौखराम ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस ने आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) का ज्ञापन बयान (एक्स पी/-6), आरोपी/अपीलकर्ता सच्चिदानंद (ए-2) का ज्ञापन बयान (एक्स पी/-7) और आरोपी/अपीलकर्ता उत्तरा कुमार (वाद के दौरान मृत्यु हो गई) का ज्ञापन बयान (एक्स पी/-8) दर्ज किया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) से मोटरसाइकिल (एक्स पी/9), आरोपी/अपीलकर्ता सच्चिदानंद (ए-2) से एक मोबाइल और मोटरसाइकिल (एक्स पी/-10) जब्त की, मौके से एक बोतल (एक्स पी/-11) और मृतक बिसाहू राम की एक बैंक जमा पर्ची (एक्स पी/-12) जब्त की।प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि 17.06.2017 को अपने चचेरे भाई बिसाहु राम के लापता होने की जानकारी मिलने के बावजूद, उसने किसी भी पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई कि आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) उसके मृत भाई को अपने साथ ले गया था।उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस स्टेशन में केवल अपने भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. संतराम वर्मा (साक्ष्य-7) ज्ञापन और ज़ब्ती के एक अन्य साक्षी हैं।उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) का ज्ञापन बयान (प्रदर्शनी पृष्ठ-6), आरोपी/अपीलकर्ता सच्चिदानंद (ए-2) का बयान (प्रदर्शनी पृष्ठ-7) और आरोपी/अपीलकर्ता उत्तरा कुमार का बयान (प्रदर्शनी पृष्ठ-8) दर्ज किया था और उन्होंने ज़ब्ती ज्ञापन (प्रदर्शनी पृष्ठ-9, पृष्ठ-10, पृष्ठ-11 और पृष्ठ-12) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।विचारण न्यायालय ने गौर किया कि इस साक्षी ने वाहन का पंजीकरण नंबर पैशन प्रो 9076 और सी.डी. डॉन 1395 अपनी हथेली पर लिखा था।

22. पिंटू वर्मा (गवाह-8) मृतक बिसाहु राम वर्मा के जीजा हैं।उन्होंने बताया है कि 14.06.2017 को वे अपने दिवंगत बहनोई (साला) बिसाहु राम वर्मा के घर गए थे और दोनों दर्जी दौलत के घर कपड़े सिलवाने गए थे। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने वहीं अपने कपड़ों का नाप लिया था।इसके बाद, मृतक बिसाहु राम भी अपने घर से कपड़े लाए और उन्हें दर्जी की दुकान पर पहनकर गए।उसने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है,

तो उसने बताया कि वह सरगाँव जा रहा है।मृतक बिसाहू राम ने उसे अपने किसी दोस्त का नाम नहीं बताया। इसके बाद उसने उसे मोटरसाइकिल पर जाते देखा।उसे नहीं पता कि वह किसकी बाइक पर सवार हुआ था। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया था।अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को विरोधी घोषित कर उससे जिरह की, लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों को नकार दिया और पुलिस को दिए गए अपने बयान (एक्स पी/ -17) के 'ए टू ए' वाले हिस्से को भी नकार दिया।इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतक बिसाहु राम के वहां से चले जाने के बाद उसने उसे दोबारा नहीं देखा और वह मृतक बिसाहु के साथ सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक था।

23. नागेश्वर राजपूत (पीडब्लू-11) ने कहा है कि वह मृतक बिसाहु राम को जानता था, जो बेल्टुकरी का निवासी था।मृतक बिसाहु राम अपने बहनोई (जीजा) पिंटू (गवाह-8) के साथ उस दिन अपनी दुकान पर कपड़े सिलवाने आए थे, जिस दिन से वे लापता हैं।उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने पिंटू (पीडब्लू-8) के कपड़ों का नाप लिया था और उस समय मृतक मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वे किससे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे एक मित्र से बात कर रहे हैं।इसके बाद, मृतक और पिंटू (पीडब्लू-8) दोनों उसकी दुकान से चले गए।अभियोजन पक्ष ने इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के सभी सुझावों को नकार दिया और अपने पुलिस बयान (एक्स पी-19) के 'ए से ए' भाग से इनकार किया।इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतक बिसाहू राम अपने जीजा पिंटू (पीडब्लू-8) के साथ आया था और उसके साथ वापस चला गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. सभी अभियोजन गवाहों के साक्ष्यों की गहन जांच से यह स्पष्ट होता है कि मृतक बिसाहू राम 14.06.2017 से लापता था और विलय सूचना (एक्स पी/ 2) के अनुसार, 01.07.2017 को यानी घटना के 17 दिन बाद श्मशान घाट के पास एक मानव कंकाल मिला था।मर्ग सूचना (एक्स पी/ -2) से पता चलता है कि "01.07.2017 को सुबह लगभग 11.00 बजे, जब वह (परिवादी) स्नान करने तालाब गया, तो उसे सूचना मिली कि श्मशान घाट के पास एक मानव कंकाल मिला है जिसे जानवरों ने बिखेर दिया था, और डॉक्टर के बयान के अनुसार, मृतक की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था।श्मशान घाट के पास मिला मानव कंकाल आरोपी/अपीलकर्ता के कहने पर बरामद नहीं किया गया था।

25. अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि गायत्री (पीडब्ल्यू-1) के अंतिम बार देखे जाने का बयान, भीखुराम (पीडब्ल्यू-2) का बयान, जिसे गायत्री ने बताया कि मृतक आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (पीडब्ल्यू-1) के साथ गया था, कुंती बाई वर्मा (पीडब्ल्यू-4) का बयान , जिसके सामने मृतक ने आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) से मोबाइल फोन पर बात की थी, प्रेमलाल वर्मा (पीडब्ल्यू-5) का बयान, जिसे मृतक के पिता ने बताया कि मृतक को आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए-1) ने अपना पैसा वापस लेने के लिए बुलाया था, संतराम वर्मा (पीडब्ल्यू-7) का बयान,, जिसके सामने आरोपी/अपीलकर्ताओं के ज्ञापन बयान

दर्ज किए गए थे और पिंटू वर्मा (पीडब्ल्यू–8) का बयान,, जिसके सामने मृतक ने मोबाइल फोन पर बात की थी और आखिरी बार उसकी संगति से चला गया था, पर आधारित है।यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि उसे मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था।दूसरे शब्दों में, दोषसिद्धि अंतिम बार एक साथ देखी गई एकमात्र परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती है और सामान्यतः न्यायालय को किसी अन्य सहायक साक्ष्य की तलाश करनी पड़ती है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है, जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था, के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध को अंजाम देने की संभावना असंभव हो जाती है।वर्तमान मामले में, मृतक बिसाहु राम 1406.2017 से लापता था तथा उसका कंकाल 01.07.2017 अर्थात 18 दिनों के पश्चात् पाया गया था।इस प्रकार, अंतिम बार देखे जाने और शव बरामद होने के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पद्ममन बिभर (उपरोक्त) मामले में कंडिका 20, 21, 22 और 23 में निम्नलिखित कहा:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का साक्ष्य कमजोर साक्ष्य है और केवल 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के आधार पर, अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य सहायक साक्ष्य के अभाव में, उसे आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं है। निर्णय के कंडिका 12 और 15 के निम्नलिखित अंशों का उल्लेख करना उपयोगी होगा:

"12.अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपराध अभियुक्त ने ही किया है।अभियुक्त और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ और सबूत होना आवश्यक है।हमारी राय में, अपीलकर्ता द्वारा मात्र स्पष्टीकरण न देना, उसके विरुद्ध दोष सिद्ध करने का आधार नहीं बन सकता है।

15. अपीलकर्ता को मृतक के साथ ऊपर बताए गए तरीके से जाते हुए अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, उसके खिलाफ उपलब्ध एकमात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को केवल संदेह के आधार पर, चाहे वह संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, या उसके आचरण के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है।ये तथ्य तब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उद्देश्य का कोई प्रमाण न हो, विशेष रूप से तब जब यह सिद्ध हो चुका हो कि आरोपी और मृतक के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यह स्थिति **माधो सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2010) 15 एससीसी 588** के मामले से काफी मिलती–जुलती है।"

21. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने रामब्रक्ष जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 7 के मामले में उपरोक्त विधिक स्थिति को कंडिका 12 और 13 में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया है:

"12.यह सर्वविदित विधिक तथ्य है कि किसी आरोपी को केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि आरोपी को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था।दूसरे शब्दों में, केवल साथ में अंतिम बार देखे जाने के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।सामान्यतः, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब आरोपी और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना नगण्य हो जाए।दोष सिद्ध करने के लिए, केवल अंतिम बार साथ देखे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त नहीं होगा और अभियोजन पक्ष को आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करनी होगी।

13. इसी प्रकार की स्थिति में इस न्यायालय ने **कृष्णन बनाम टी.एन. राज्य, (2014) 12 एस.सी.सी. 279** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :**(एस. सी. सी. पीपी. 284-85, कंडिका 21-24)**

"21. केवल मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य, 1994 अनुपूरक (2) एससीसी 372 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित कियाः(एससीसी पृष्ठ 385, कंडिका 31)

31. इस प्रकार, यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता 19-7-1985 की शाम को सीताराम के घर गया था और मृतक सीताराम के घर पर रात बिताई थी, अत्यंत कमजोर और निर्णायक नहीं है।यदि यह स्वीकार किया जाए कि वे वहाँ थे, तो भी यह अधिकतम इस बात का साक्ष्य होगा कि अपीलकर्ताओं को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था।लेकिन यह स्थापित विधि है कि केवल अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति ही उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेगी जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप है और इसलिए, केवल उस आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।'

22. इस न्यायालय ने **बोधराज बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45** में यह अभिनिर्धारित किया किः(एससीसी पृष्ठ 63, कंडिका 31)

31. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब आरोपी और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना असंभव हो जाती है।ऐसे मामलों में दोष सिद्ध करना जोखिमपूर्ण होगा जहां यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अन्य पुख्ता सबूत न हो कि आरोपी और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. एफआईआर दर्ज करने में छह दिन की अस्पष्ट देरी हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक मणिकंदन को आखिरी बार 4 अप्रैल 2004 को पांगुनी उथिरम उत्सव के दौरान मरियम्मन मंदिर में वडक्कुमेलूर गांव में देखा गया था।अग्निशमन कर्मियों ने सात दिन से अधिक समय बाद मृतक का शव बोरवेल से निकाला।अभिलेख में ऐसा कोई अन्य पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और बीच के सात दिनों में मृतक के संपर्क में कोई नहीं आया था।

24. जसवंत गिर बनाम पंजाब राज्य, (2005) 12 एससीसी 438 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में किसी अन्य कड़ी के अभाव में, अपीलकर्ता को केवल "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान पर विश्वास किया जाए।

22. वर्तमान मामले में भी अपीलकर्ता के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' का है।उद्देश्य का साक्ष्य हमें इस बात से संतुष्ट नहीं करते कि यह अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल परिस्थिति है, क्योंकि यदि अपीलकर्ता को अपनी पत्नी की पवित्रता के बारे में कोई संदेह होता है, तो वह अपनी पत्नी को चोट या नुकसान पहुंचाता, न कि पत्नी के चचेरे भाई को, जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी।इसके अलावा, अपराध का तथाकथित हथियार, अर्थात् पत्थर, उसकी निशानदेही पर बरामद नहीं हुआ है और न ही अपीलकर्ता का कोई ज्ञापन बयान उपलब्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमारा मत है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति से यद्यपि उसके द्वारा हत्या किए जाने की संभावना पर संदेह होता है, परन्तु यह इतना निर्णायक नहीं है कि उसे केवल 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है।"

27. इस न्यायालय ने **तेजप्रकाश सेन (उपरोक्त)** मामले में कंडिका 16 में निम्नलिखित निर्णय दिया:---

16. हालाँकि, एस. कालीस्वरन बनाम राज्य बनाम पुलिस निरीक्षक पोलाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1511] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अपराध प्रमाण के नियम का अपवाद बनाया है कि यदि पूरी श्रृंखला ठोस साक्ष्य द्वारा विधिवत सिद्ध हो जाती है, तो दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध प्रमाण न मिले, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित का शव आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से बरामद किया गया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी के कहने पर मिला शव या कंकाल पीड़ित का ही था और किसी और का नहीं, और यह इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया :---

> **"14. ... लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित का शव आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से बरामद किया गया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी के कहने पर मिला शव या कंकाल पीड़ित का ही था, किसी और का नहीं।"**

28. इस मामले में, विलय सूचना (एक्स पी/–2) और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि अज्ञात व्यक्ति का कंकाल 01.07.2017 को बरामद किया गया था, यानी मृतक बिसाहू राम के लापता होने के 18 दिन बाद, और अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि कंकाल किसी भी आरोपी व्यक्ति के ज्ञापन बयान के आधार पर बरामद किया गया था।पुलिस ने आरोपियों का ज्ञापन बयान दर्ज किया, जिसमें मृतक बिसाहु राम की हत्या के तरीके और ढंग का विस्तृत वर्णन किया गया था। आरोपियों ने मृतक की पहचान मिटाने के लिए उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने केवल एक मोटरसाइकिल, पेट्रोल की बोतल और एक मोबाइल फोन जब्त किया है।

29. मृतक बिसाहु राम की पत्नी गायत्री (पीडब्ल्यू–1) ने कहा है कि आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए–1) ने उसके मृतक पति बिसाहु राम को फोन किया और उससे पैसे लेने के लिए बुलाया था।अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कॉल विवरण एकत्र किए हैं और हेड कांस्टेबल मोहित चेलक (साक्षी–22) से पूछताछ की है, जिन्होंने बताया कि लापता मृतक बिसाहु राम के मोबाइल सिम नंबर 8719064332 और 9584471897 के कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए एक पत्र (एक्स पी/41) भेजा गया था, जिसमें संदिग्ध सिम नंबर 9770833191 और 8959227417 लापता मृतक बिसाहु राम के कॉल विवरण में दिखाई दिए। साथ ही, इन संदिग्ध मोबाइल नंबरों के कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए एक पत्र (एक्स पी/43) भी भेजा गया था। इस साक्षी ने मोबाइल सिम नंबर 9584471897 के कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए वोडाफोन के नोडल अधिकारी को एक पत्र (एक्स पी/45) भी भेजा था। प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि मोबाइल सिम नंबर 8959227417 और 8719064632 क्रमशः रणजीत सिंह और मधु बाई के नाम पर पंजीकृत हैं।इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ये दोनों मोबाइल सिम नंबर मृतक बिसाहू और सौखी राम के नाम पर पंजीकृत नहीं थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि चारों मोबाइल सिम नंबर, अर्थात् 8959227417, 8719064632, 9770833191 और 9584471897, आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए–1) या उत्तरा कुमार (वाद के दौरान मृत) के नाम पर पंजीकृत नहीं थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि मोबाइल सिम नंबर 8959227417 रणजीत के नाम पर पंजीकृत था, जिसका पता ग्राम और डाकघर रहांत, तहसील घटीगांव, जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) था।उसने यह भी स्वीकार किया है कि 11.06.2017 से 15.06.2017 तक इस मोबाइल सिम नंबर 8959227417 का स्थान ग्राम रहांत, तहसील घटीगांव, जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) था।अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि यह मोबाइल सिम नंबर आरोपियों से कैसे जुड़ा और यह भी साबित करने में विफल रहा है कि घटना वाले दिन आरोपी ओम नारायण (ए–1) ने मृतक बिसाहू राम को फोन किया था। 30.अब तक अपीलार्थी सच्चिदानंद (ए–2) की संलिप्तता का संबंध है, साक्षीयों, विशेष रूप से पीडब्लू/1 ने अपने पूरे साक्ष्य में उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए कुछ भी विशिष्ट नहीं लाया गया है।केवल आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए–1) के ज्ञापन बयान के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की हत्या अपीलकर्ताओं ने ही की है, जब तक कि ठोस साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।इसके अलावा, अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह पता चले कि दोनों आरोपियों ने आपराधिक षड़यंत्र रचकर मृतक की हत्या की है।हम इन साक्षीयों के साक्ष्य से बहुत प्रभावित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने (पीडब्ल्यू/1 और पीडब्ल्यू/4) केवल इतना कहा है कि आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण (ए–1) ने मृतक को फोन किया था और उसे अपना पैसा लेने के लिए बुलाया था।इस प्रकार, इन साक्षी को मृतक के साथ आरोपी/अपीलकर्ताओं के अंतिम बार देखे जाने के संबंध में साक्षी नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अतः, इन साक्षी के कथन को अंतिम बार देखे जाने के संदर्भ में स्वीकार करने का विचारण न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है।इसके अलावा, हालांकि मामले से जुड़े तथ्य तथा अभिलेख पर साक्ष्य आरोपी/अपीलकर्ताओं की संबंधित अपराध में संलिप्तता के बारे में संदेह पैदा करते हैं, लेकिन कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संदेह की सुई कितनी भी मजबूत क्यों न हो जाए, वह सबूतों का स्थान नहीं ले सकती है।इस तथ्य से **संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा ही निर्णय है पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य बनाम जय भगवान, 2011 (6) एससीसी 376 में रिपोर्ट किया।**

31. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अभियुक्तों और मृतक बिसाहू राम के बीच किसी भी प्रकार का संबंध दर्शाता है। केवल गायत्री (पीडब्लू–1) और कुंती बाई वर्मा (पीडब्लू–4), मृतक बिसाहू राम की पत्नी और माता, ने ही यह बयान दिया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ओम नारायण ने मृतक से कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए उसने मृतक बिसाहू राम की हत्या कर दी और इसी को अपराध के पीछे का मकसद साबित करने का प्रयास किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चुंथुरम (उपरोक्त) मामले में कंडिका 17 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–––**

"17. उद्देश्य के पहलू पर, भूमि विवाद का अंततः निपटारा हो गया था और यह महतोराम, पी.डब्ल्यू. 1 (मृतक के पिता) द्वारा कहा गया था कि सिलधर की हत्या तब की गई थी जब उक्त भूमि विवाद अभी भी लंबित था।.यदि यही स्थिति है, और अपराध के लिए कोई तात्कालिक और प्रत्यक्ष मकसद साबित करने वाला कोई और साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो दंड को सही ठहराने के लिए बताए गए उद्देश्य को स्वीकार करना मुश्किल होगा।"

33. अभियोजन पक्ष का मामला अंतिम बार देखे जाने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है **और सर्वोच्च न्यायालय ने सत्तिया @ सतीश राजन्ना करतल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 3 एससीसी 210 और शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 4 एससीसी 116] के मामलों में** यह अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध किया जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और केवल आरोपी के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए।उन परिस्थितियों को अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है,

और साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में विश्वास करने का कोई उचित आधार न बचे।यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि विधिक रूप से स्थापित परिस्थितियाँ, न कि केवल न्यायालय का आक्रोश, दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्यों की गहन जाँच में उतनी ही अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले ले।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में, ऊपर चर्चा किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि घटना दिनांक अर्थात 14.06.2017 को मृतक और आरोपी/अपीलकर्ता ओम नारायण को गायत्री (पीडब्ल्यू–1) द्वारा आखिरी बार एक साथ देखा गया था और उसने अन्य आरोपी सच्चिदानंद (ए–2) की सहायता से अपराध किया था।पुलिस आरोपियों के बयान के आधार पर अपराध से संबंधित कोई भी सबूत पेश करने में विफल रही है और अपराध के पीछे का उद्देश्य भी साबित नहीं कर पाई है।अभियोजन पक्ष मृतक की मृत्यु को हत्या साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है, लेकिन विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आरोपियों के बयान के आधार पर ही उन्हें दोषी ठहरा दिया, जो विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है।

35. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 70 और 71 में अभियुक्तों के ज्ञापन बयान पर विचार किया और उन्हें आईपीसी की धारा 201, 364, 302/34 और 120–बी के तहत दोषी ठहराया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की गुणवत्ता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि आईपीसी की धारा 201, 364, 302/34 और 120–बी के तहत अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं है और इसलिए वे संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं।परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 201, 364, 302/34 और 120–बी के तहत अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाला आक्षेपित निर्णय रद्द किया जाता है और उन्हें उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।याचिकाकर्ता कारागार में हैं।यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

36. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए (बी.एन.एस.एस. की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/– रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड, इतनी ही राशि के एक जमानती के साथ, संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी देना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपर्युक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

37. विचारण न्यायालय के अभिलेख और इस निर्णय की प्रति अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय और जेल अधीक्षक को वापस भेज दी जाए।

38. अतः अपील स्वीकार की जाती है।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur